

परमाणु प्रसार और वैश्विक सुरक्षा

Dr. Babu Lal Meena

Professor in Pol Science S P C Govt College Ajmer

सार

भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का नाम "स्माइलिंग बुद्धा" था। इसके बाद पोखरण-2 परीक्षण मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किये गए पांच परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। भारत ने 11 और 13 मई, 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किये थे। इस कदम के साथ ही भारत की दुनिया भर में धाक जम गई। भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत द्वारा किये गए इन परमाणु परीक्षणों की सफलता ने विश्व समुदाय की नींद उड़ा दी थी। इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबन्ध लगाये थे। इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से कहा था भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ "पहले इस्तेमाल" नहीं करेगा; जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनायीं थी।

मुख्यशब्द- परमाणु प्रसार, वैश्विक सुरक्षा

परिचय

परमाणु हथियारों के विस्तार को सामान्यतया विश्व की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर इतनी अधिक चर्चा नहीं होती है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग को स्वीकार किया गया है। इस प्रौद्योगिकी के शान्तिपूर्ण बनाम सैन्य उपयोगों पर वाद विवाद है। पिछले कुछ वर्षों से यह चर्चा अधिक जटिल कार्य है। क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के "दोहरे प्रयोग" की प्रौद्योगिकी को जिस उपयोग के लिए बढ़ाया जा रहा है, उसका अंतिम उपयोग किस प्रकार होगा, इसमें अंतर करना बहुत कठिन हो सकता है। फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में जितना लिखा जा रहा है, उसमें इसी विषय की प्रमुखता है। मुख्य चिंता इनकी बढ़ती हुई संख्या है न कि विस्तार।

परमाणु प्रसार की नीतियों को इस समय दो प्रकार के मुद्दे एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक तो, तकनीकी और राजनीतिक प्रकार के मुद्दे हैं और दूसरे का सम्बंध संबंधित देशों की क्षमता और उद्देश्य से है। अप्रसार में तकनीकी तत्व या तो उस देश को क्रान्तिक तकनीकी परिसम्पत्ति से वंचित करता है जिस पर वह परमाणु कार्यक्रम चलाना चाहता है या सुरक्षा प्रणाली के अधीन इन परिसम्पत्तियों को उपलब्ध करना चाहता है। इससे हथियारों के उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के संभव प्रयोग पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित किया गया है या अर्जित किया गया है, वह केवल नागरिक प्रयोग के लिए रहती है। (या इसी तक सीमित रखी जाती है) प्रणाली का राजनीतिक घटक दो स्तरों पर कार्य करता है। एक परमाणु सम्पन्न देश होने से रोकने के लिए उन पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, परमाणु सम्पन्न होने से रोकने के लिए देशों को आर्थिक या अन्य तरीके के रूप में

विभिन्न प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक घटक में परमाणु सम्पन्न न होने के लिए "राजनीतिक" समझदारी आवश्यक होती है।

राज्य को परमाणु सम्पन्न होने की क्षमता तकनीकी घटक पर निर्भर होती है। परमाणु प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना का विकास, अर्थात् परमाणु शस्त्र उत्पादन करने की क्षमता प्रसार की समस्या का तकनीकी परिमाण है। परमाणु क्षमता सम्पन्न राज्य परमाणु प्रसार के लिए तकनीकी दृष्टि से पूर्ण विकसित हो सकता है, परन्तु परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश बनने के लिए विकल्प का प्रयोग करना राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, यही विकल्प परमाणु प्रसार निर्धारित करेगा। वास्तव में, परमाणु प्रौद्योगिकी के विस्तार और परमाणु सामग्री की उपलब्धता से यह निर्णय करना कि परमाणु शस्त्र अर्जित किए जाए या नहीं, राजनीतिक मामला है।

उद्देश्य-

- [1] एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
- [2] भारत को वृहत शक्ति सैन्य रणनीति के प्रमुख साधनों के रूप में बदलते वैश्विक परमाणु विमर्श को चिह्नित करने का अध्ययन।

पूर्तिकर्ता समूह

1970 में, एन पी टी लागू होने के थोड़े ही समय बाद, कई देशों ने परमाणु ईंधन और सामग्री निर्यात के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और मानकों के बारे में परामर्श करना आरंभ किया। क्लोडे ज्ञानगर की अध्यक्षता में इस समूह में एन पी टी के सदस्य थे या परमाणु सामग्री के पूर्तिकर्ता थे। भारतीय परीक्षण का अनुसरण करते हुए कई देशों ने अपने परमाणु निर्यात पर आई ए ई ए सुरक्षा उपाय लागू करने की अपनी मंशा आई ए ई ए को सूचित की। इस ज्ञापन में सामग्री और मदों की "ट्रिगर सूची" शामिल की गई, तथा परमाणु सामग्री की पूर्ति सूची पर पहली बार बड़ा समझौता होना था। दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, किन अवस्थाओं में गैर-शस्त्र राज्यों को परिष्करण और पुनः संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी और उपकरण स्थानांतरित किए जा सकते हैं और जो राज्य सुरक्षा उपायों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं उन्हें हस्तांतरण किया जाए या नहीं। तथाकथित लंदन क्लब के परमाणु सामग्री पूर्तिकर्ता मार्ग निर्देशक सिद्धान्त जो अंततः प्रकाश आए, उसमें निम्नलिखित शामिल थे एक, किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोटों के लिए हस्तांतरित सामग्री का प्रयोग न करने का वचन दें। दो, संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इस सुरक्षा उपाय: प्रणाली के अधीन आता है फिर भी ऐसा हस्तांतरण भारी प्रतिबंधों के साथ दो सकता है। चाहिए? परन्तु यदि सुविधाएँ केवल कम परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग कर रही हैं तो अत्यधिक नियंत्रण के साथ. हस्तांतरण होना चाहिए।

यथा समय में पूर्तिकर्ता समूह की सम्पूर्ण अवधारणा एक नए अर्थ के साथ आयी, इसमें उस प्रयोजन के लिए स्थापित कई शासन प्रणालियों के अधीन दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना था। 1987 में परमाणु क्षमता के प्रेक्षणास्त्रों की बिक्री को शामिल करने के लिए इसी प्रकार के निर्यात मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने पर सात प्रेक्षणास्त्र (मिसाइल) प्रौद्योगिकी निर्यातक देश सहमत हुए। इस संधि को प्रेक्षणास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का नियंत्रण कर परमाणु प्रसार के जोखिम को कम करना है जो परमाणु शस्त्र गिरा सकते हैं। 1992 में परमाणु पूर्तिकर्ता समूह ने वारसा में हुई अपनी बैठक में परमाणु से सम्बद्ध दोहरे प्रयोग के उपकरण, सामग्री और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकार किए। आमतौर पर, तृतीय विश्व इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उनका तर्क था कि एन पी टी स्वीकृत किए जाने के बाद शान्तिपूर्ण प्रयोगों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुँच होनी चाहिए परन्तु शस्त्र

सम्पन्न राज्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि एन पी टी प्रणाली के अधीन भी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण अप्रतिबंधित नहीं है और इसलिए इन्हें भी रक्षा उपायों के अधीन रखा जाना चाहिए। इन नियंत्रणों ने तृतीय विश्व में परमाणु से संबंधित विकास की गति को धीमा कर दिया और कुछ देशों के प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रमों पर भी रुकावट लगा दी। परमाणु हथियार को घातक नरसंहार के हथियारों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी मारक क्षमता अत्यधिक विनाशक होती है। इनके प्रयोग से आम नागरिकों का संहार होता है। घातक नरसंहार के हथियारों में रासायनिक और जैविक हथियारों को भी सम्मिलित किया जाता है। रासायनिक और जैविक हथियारों के आकार अत्यधिक छोटे होते हैं तथा निर्माण की लागत भी कम होती है। इसलिए रासायनिक हथियारों को 'गरीब राष्ट्रों का परमाणु बम' भी कहा जाता है। शीतयुद्धोत्तर विश्व में वर्ष 1992 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की संधि हुई, जिसके अंतर्गत रासायनिक हथियारों का उत्पादन एवं संग्रह पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इस पर 175 राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिया है, जिसमें सभी महाशक्तियां सम्मिलित हैं। परंतु अभी भी मिस्र, सीरिया, लीबिया, ईराक और उत्तरी कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

जैविक हथियार भी घातक नरसंहार के हथियार माने जाते हैं, जो रासायनिक हथियारों से मिलते-जुलते हैं। इनके प्रयोग के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वर्ष 1972 में जैविक हथियारों को समाप्त करने, इनके उत्पादन एवं विकास को प्रतिबंधित करने का समझौता हुआ। जिस पर सभी महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किया। सितंबर, 2001 के पश्चात् एन्थेक्स के रूप में जैविक हथियारों के प्रयोग की अफवाह फैली। ऐसा माना जाता है कि ईरान, लीबिया, सीरिया जैसे राष्ट्र अभी भी इन हथियारों का उत्पादन और संग्रह कर रहे हैं। घातक नरसंहार के हथियार अत्यधिक विनाशक होते हैं तथा समकालीन परिप्रेक्ष्य में अलकायदा एवं इस्लामिक स्टेट जैसे गैर-राष्ट्रीय कर्ताओं के बढ़ते प्रभाव के कारण इन हथियारों के दुष्प्रयोग की आशंका बढ़ गई है।

परमाणु हथियारों के प्रसार का अभिप्राय- परमाणु प्रसार का अभिप्राय, परमाणु क्षमता एवं तकनीकी का हस्तांतरण एक राज्य से, दूसरे राज्यों को प्रदान करना है। यह प्रसार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में होता है। ऊर्ध्वाधर (Vertical) रूप में प्रसार का अभिप्राय, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की परमाणु क्षमता में वृद्धि तथा परमाणु हथियारों का परिष्करण है। जबकि क्षैतिज प्रसार का अभिप्राय, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से गैर-परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को किया गया प्रसार से है। परमाणु हथियारों की प्राप्ति या प्रसार के निम्नलिखित कारण होते हैं-

- [1] अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति संघर्ष का प्रतीक है। प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा बनाए रखने हेतु बेहतर हथियारों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा विदेश नीति का मार्मिक हित माना जाता है, जिसके साथ कोई भी राज्य समझौता करने को तैयार नहीं होता। वर्ष 1945 के बाद परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य हथियार के रूप में माना गया।
- [2] सुरक्षा उभयपाश की मान्यता के अनुसार, एक राज्य की सुरक्षा तथा दूसरे राज्य में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए परमाणु हथियारों का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों का निर्माण अमेरिकी भय के कारण किया। जबकि चीन ने परमाणु हथियारों का विस्फोट अमेरिका और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी शक्ति का सामना करने के लिए किया। भारत ने परमाणु हथियारों का विस्फोट दक्षिण एशिया में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किया। इजरायल के अनुसार, अरब राष्ट्र उसका विनाश करना चाहते हैं। इसलिए इजरायल को परमाणु हथियारों की आवश्यकता है। जबकि पाकिस्तान के अनुसार, भारत, पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए उसे परमाणु हथियारों की आवश्यकता है। उत्तरी कोरिया के अनुसार, दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति के कारण उसने परमाणु विस्फोट किया।

- [3] परमाणु प्रसार का कारण घरेलू राजनीतिक आवश्यकता एवं तकनीकी क्षमता भी हो सकती है। भारत में परमाणु हथियारों का विकास सिविल परमाणु क्षेत्र से किया गया। प्रसार का कारण वित्तीय भी हो सकता है। यह माना जाता है कि चीन द्वारा अनेक देशों को दी गई प्रक्षेपास्त्र तकनीकी वित्तीय लाभ के कारण किया गया।
- [4] सैन्य एवं राजनीतिक अनिश्चितता तथा सहयोगी राष्ट्रों की अविश्वसनीयता भी परमाणु प्रसार का कारण माना जाता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन, अमेरिका का मित्र एवं नाटो का सदस्य है, इसके बावजूद ब्रिटेन ने वर्ष 1952 में परमाणु हथियारों का निर्माण किया।
- [5] परमाणु हथियारों के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रेरक राजनीतिक सौदेबाजी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तरी कोरिया

परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाम व्यापक परमाणु अप्रसार - परमाणु अप्रसार संधि (वर्ष - 1968) में परमाणु मुक्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। कुछ एक महाद्वीप में यह प्रवृत्ति परमाणु अप्रसार संधि के लागू होने के पहले भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, टोटलको संधि के द्वारा लैटिन अमेरिका को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। वर्ष 1985 में रोराटोंगा संधि के द्वारा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1996 में बैंकाक संधि के द्वारा सभी दक्षिण - पूर्वी एशियाई देशों ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया। वर्ष 1996 में पॉलिंडाबा संधि के द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के 48 देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया। वर्ष 2007 की खाड़ी सहयोग परिषद् की बैठक में सदस्य राज्यों ने खाड़ी क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई तथा इजरायल से यह अनुरोध किया गया कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे ।

भारतीय विदेश नीति में क्षेत्रीय अप्रसार की संकल्पना का समर्थन नहीं किया जाता है। भारत के अनुसार, परमाणु हथियारों का व्यापक, सार्वभौमिक, समग्र और निश्चित समय में समापन होना चाहिए। इसलिए भारत ने सदैव निरस्त्रीकरण का समर्थन किया, परमाणु अप्रसार का नहीं। वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाना चाहिए। शीतयुद्धोत्तर विश्व में परमाणु प्रसार का मुख्य क्षेत्र एशियाई महाद्वीप बना हुआ है। उत्तरी कोरिया, ईरान का मुद्दा अभी भी विवादास्पद है। ईरान परमाणु हथियारों की प्राप्ति का सजग प्रयास कर रहा है। जबकि दूसरी ओर, विश्व में कुछ राज्यों ने परमाणु क्षमता का परित्याग भी किया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1991 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने परमाणु हथियारों को समाप्त करने की घोषणा की। वर्ष 1996 में पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत के तीन राज्यों ने अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन सम्मिलित थे। इन राज्यों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भी किए।

भारत में परमाणु विकास

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक के उत्तरार्द्ध में होमी जे. भाभा के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था।

- भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया।
- भारत ने सैन्य उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मई 1998 में कई परमाणु परीक्षण किये।

- वर्ष 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के 'नो फ़र्स्ट यूज़' (NFU) के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे औपचारिक रूप से जनवरी, 2003 में अंगीकृत किया गया।
- इसके तहत कहा गया कि भारतीय क्षेत्र पर अथवा कहीं भी भारतीय सैन्य बलों पर परमाणु हमले के जवाब में ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत की स्वतंत्रता के बाद जब से भारत में परमाणु तकनीक पर कार्य प्रारंभ हुआ तभी से भारत परमाणु हथियारों के विकास पर जोर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि भारत का ऐसा मानना था कि अगर भारत पर परमाणु हमला होगा तो अमेरिका और रूस भारत की सहायता करेंगे। बड़ी शक्तियों ने यह आश्वासन भी देने का प्रयास किया कि अगर परमाणु शक्ति विहीन देश परमाणु अप्रसार संधि यानी एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर कर दें तो परमाणु धमकी अथवा ब्लैकमेल के विरुद्ध वे सुरक्षा का वादा करने को तैयार हैं। परंतु इस प्रकार का आश्वासन बहुत दिनों के लिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन द्वारा बैलेस्टिक और एंटी बैलेस्टिक मिसाइलों का विकास कर लेने के बाद अमेरिका और रूस से भारत जैसे दूरस्थ स्थित देश के लिए समय पर सहायता उपलब्ध करापाना संभव नहीं है। यह भी संभव है कि चीन द्वारा कुछ किलोमीटर की घुसपैठ पर बड़ी शक्तियां चीन के विरुद्ध परमाणु तकनीक परमाणु कार्यवाही नहीं करें। बड़ी शक्तियों के साथ भारत ने परमाणु संबंधों को सामान्य नहीं कहा जा सकता है। ये शक्तियां भारत पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालती रही हैं रहती हैं। जहां एक ओर ये शक्तियां हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परमाणु हथियारों के भंडार भंडार में वृद्धि करती जा रही है वहीं दूसरी ओर इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र को परमाणु विहीन क्षेत्र बनाने के प्रयास से भी पीछे हट गई हैं।

संदर्भ

- [1] अब्राहम, आई. (2010)। 'अगला कौन?' परमाणु द्विपक्षीयता और अप्रसार नीति के विरोधाभास। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 45(43), 48-56।
- [2] एक्सेलरोड, आर., और केओहेन, आर.ओ. (1985)। अराजकता के तहत सहयोग प्राप्त करना: रणनीतियाँ और संस्थाएँ। विश्व राजनीति, 38(1), 226-254।
- [3] बेल, एम.एस. (2015)। परमाणु प्रसार के लिए स्पष्टीकरण की जांच करना। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन त्रैमासिक, 60(3), 520-529।
- [4] बेट्स, आर.के. (1980)। परमाणु हथियारों के लिए प्रोत्साहन. जे. ए. येजर (सं.), अप्रसार और अमेरिकी विदेश नीति (पीपी. 85-175) में। वाशिंगटन, डीसी: ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन।
- [5] बेट्स, आर.के. (2000)। सार्वभौमिक प्रतिरोध या वैचारिक पतन? उदारवादी निराशावाद और यूटोपियन यथार्थवाद।
- [6] वी. ए. उटगॉफ़ (एड.) में, आने वाला संकट: परमाणु प्रसार, अमेरिकी हित और विश्व व्यवस्था (पीपी. 51-86)। कैम्ब्रिज, एमए: एमआईटी प्रेस।

- [7] ब्लेक, पी.सी. (2010)। राज्यों का प्रसार क्यों होता है? परमाणु हथियारों की खोज, खोज और अधिग्रहण का मात्रात्मक विश्लेषण। डब्ल्यू. सी. पॉटर और जी. मुख्तज़ानोवा (सं.) में, 21वीं सदी में परमाणु प्रसार का पूर्वानुमान: सिद्धांत की भूमिका (खंड 1) (पीपी. 159-192)। स्टैनफोर्ड, सीए: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [8] ब्रौन, सी., और चिबा, सी. (2004)। प्रसार के छल्ले: परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए नई चुनौतियाँ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, 29(2), 5-49.
- [9] चिंकिन, सी.एम. (1989)। नरम कानून की चुनौती: अंतर्राष्ट्रीय कानून में विकास और परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय और तुलनात्मक कानून त्रैमासिक, 38(4), 850-866.
- [10] कोरेरा, जी. (2006)। बमों की खरीदारी: परमाणु प्रसार, वैश्विक असुरक्षा, और A.Q का उत्थान और पतन। खान नेटवर्क. न्यू यॉर्क, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।